न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3632–दो/2014 विरूद्व आदेश दि. 17.10.2.14 पारित व्दारा – नायव तहसीलदार वृत्त–4 तहसील मुरैना – प्रकरण कमांक 14/2013–14 अ–6

1– रामज्ञान पुत्र शॅकरलाल कोरी
2–कमल सिंह 3– रणवीर सिंह
4– राजबहादुर सिंह तीनों पुत्रगण
रामसिंह तौमर सभी निवासी ग्राम
खेड़ा मेवदा तहसील मुरैना ———आवेदकगण

विरूद्व

पंकज सिंह पुत्र सुग्रीव सिंह गुर्जर
ग्राम तुरसीपुरा तहसील मुरैना
जिला मुरैना , मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री कुॅवर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 16–10–2015 को पारित)

नायव तहसीलदार वृत्त–4 तहसील मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 14/2013–14 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 17–10–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मुरैना को म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 2..9.14 प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसने ग्राम खेडा मेवढ़ा स्थित सर्वे कमांक 1758 का अंशभाग 3375 वर्गफीट यानि 313.66 वर्गमीटर रामजीलाल आदि से विकय पत्र दिनॉक 11.7.14 से कय किया हैं, विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया जावे। नायव तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 14/13–14 अ–6 दर्ज किया तथा नामान्तरण वावत् कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर कमल सिंह वगैरह ने आपत्ति दर्ज कराई तथा म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ने इस

आवेदन पर उभय पक्ष को श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक तथा धारा 32 का प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष पंजीयन विक्रय पत्र दिनांक 11.7.2014 प्रस्तुत कर क्रय किये गये रकबा 313.66 वर्गमीटर पर नामान्तरण की मांग की गई है, जिस पर अनावेदकगण ने आपत्ति दिनांक 18.9.14 प्रस्तुत कर नामान्तरण न किये जाने की गुहार लगाई। तदुपरांत अनावेदकगण ने म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन दिनांक 29.9.14 प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराई , जिसे नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 17.10.14 से निरस्त किया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि अनावदेकगण ने धारा 32 के आवेदन में आपत्ति यह दर्ज कराई है कि उक्त भूमि का रकबा शासकीय अभिलेख में त्रृटिवश रतिया पुत्र ओझा का हिस्सा 0.20 है. के स्थान पर 0.40 है. और कहीं 0.30 है. हो गया है जो इन्द्राज दुरूस्ती की श्रेणी में आता है इसलिये विक्रय पत्र अवैध है। विचाराधीन मामला पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण का है मामला इन्द्राज दुरूस्ती का नहीं है इसलिये नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 17—10—14 से आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। यदि आवेदकगण रकबा दुरूस्त करना चाहते हैं तब वह सक्षम न्यायालय में तद्नुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार वृत्त—4 तहसील मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2013—14 अ—6 में पारित आदेश दिनांक 17—10—2014 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर